III/निग0/रीवा/2014/4173

न्यायालय श्रीमान् पीठासीन अधिकारी राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

सावित्री सिंह पत्नी श्री विश्वनाथ सिंह, उम्र 60 वर्ष, पेशा घरूकार्य, निवासी ग्राम चौड़ियार, तहसील गुढ़, जिला रीवा (म0प्र0)

—————निगरानीकर्ता

बनाम

गोविन्द सिंह तनय स्व0 विश्वनाथ सिंह, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम चौड़ियार, तहसील गुढ़, जिला रीवा (म0प्र0)

2– आशा सिंह पत्नी अरविन्द सिंह पिता स्व0 विश्वनाथ सिंह, उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम बाउली, जिला जालौन (उ0प्र0), हाल मुकाम कुम्हारी, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

3– ममता सिंह पत्नी धीरेन्द्र प्रताप सिंह पिता स्व0 विश्वनाथ सिंह, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम सेमरी, जिला इलाहाबाद (उ0प्र0), हाल मुकाम कुम्हारी, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

4– सुशीला सिंह पत्नी स्व0 शिवनारायण सिंह, उम्र 37 वर्ष,

5– सनी सिंह तनय स्व0 श्री शिवनारायण सिंह, उम्र 22 वर्ष,

6– विवेक सिंह पिता स्व0 शिवनारायण सिंह उम्र 20 वर्ष,

7– पुष्पराज सिंह तनय स्व0 विश्वनाथ सिंह, उम्र 36 वर्ष,

सभी निवासी ग्राम चौड़ियार, तहसील गुढ़, जिला रीवा (म0प्र0)

8– शासन म0प्र0 द्वारा जिलाध्यक्ष रीवा (म0प्र0) ———रेस्पाडेन्टगण

निगरानी विरूद्ध नक्शा तरमीम दिनांक 30/06/17, 28/06/17, 28/02/17, 10/02/17

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई0

सावित्री सिंह

(115)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक II/निग0/2017/4173 जिला–रीवा

श्रीमती सावित्री सिंह/ गोविन्द सिंह वगैरः

(1)	(2)	(3)
05/8/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री संतेश्वर सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील गुढ़ के प्रकरण क्रमांक नक्शा तरमीम में पारित आदेश दिनांक 30.06.2017, 28.06.2017, 28.02.2017, 10.02.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.10.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	